

राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन

मादक द्रव्य व्यसन के मनोसामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य विषय पर दिनांक 12 एवं 13 फरवरी, 2018 को महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

संगोष्ठी के प्रथम दिवस प्रातः 9.30 बजे संगोष्ठी में शामिल होने आए प्रतिभागियों का पंजीयन प्रारम्भ हुआ । उद्घाटनसत्र के पहले तक 90 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन करा लिया था । सभी प्रतिभागियों को आवश्यक किट प्रदान किया गया ।

प्रातः 11.00 बजे संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र पं.सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रो.बंश गोपाल सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में प्रारम्भ हुआ । मनोविज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में संगोष्ठी का बीज व्यक्तव्य (Key Note Address) भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के इतिहास अध्ययनशाला की अध्यक्षता एवं प्रो.डॉ.आभा रूपेन्द्र पाल द्वारा की गयी । उन्होंने मादक द्रव्य व्यसन के ऐतिहासिक पक्ष पर अपने विचारों से सभा को अवगत कराया । इस सत्र में मनोविज्ञान अध्ययनशाला पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ.बशीर हसन, विभागाध्यक्ष प्रो.प्रियमवदा श्रीवास्तव, एवं अहमदाबाद गुजरात से उपस्थित नशामुक्ति प्रणेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री गुलाब चंद पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ।

दोपहर भोजन पश्चात् 1.30 बजे प्रथम तकनीकी सत्र प्रारम्भ हुआ । इस सत्र की चेयर परसन प्रो.प्रियमवदा श्रीवास्तव को-चेयर परसन श्री गुलाबचंद पटेल एवं रिपोर्टर डॉ.श्वेता पाण्डेय जी थी । इस सत्र में 15 प्रतिभागियों ने अपने पेपर प्रस्तुत किये । नागपुर विश्वविद्यालय से आमंत्रित डॉ. हिना खान जी ने सत्र की अध्यक्षता की ।

चाय के पश्चात् द्वितीय तकनीकी सत्र दोपहर 3.30 बजे प्रारम्भ हुआ । इस सत्र के चेयर परसन प्रो.बशीर हसन एवं को-चेयर परसन डॉ.यूसूफ अली खान जी रहे । रिपोर्टिंग का दायित्व डॉ.दीप्ति टिकरिहा जी का था । सत्र की अध्यक्षता कबीरधाम जिले के सी.एम.एच.ओ. डॉ.सतीश त्रिपाठी जी ने की । इस सत्र में 13 प्रतिभागियों ने अपने पत्र प्रस्तुत कये । अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् प्रथम दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

द्वितीय दिवस 13 फरवरी, 2018 को प्रातः नाश्ते के बाद तृतीय तकनीकी सत्र प्रारम्भ हुआ । सत्र के चेयर परसन क्षेत्र के प्रख्यात चिकित्सक डॉ.सलील मिश्रा जी रहे । को-चेयर परसन के रूप में निमहॉस बैंगलोर से आए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ.राजेश जी रहे । अध्यक्षता डॉ.वेदमती मण्डावी के द्वारा की गयी तथा सत्र का प्रतिवेदन डॉ.ऋचा मिश्रा जी के

द्वारा प्रस्तुत किया गया । इस सत्र में डॉ. सलील मिश्र जी द्वारा जहां मादक द्रव्य व्यसनों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तर से चर्चा की गयी, वहीं डॉ.राजेश ने एक जीवन्त रोल-प्ले के माध्यम से नशा मुक्ति की दिशा में प्रतिभागी साथियों ने प्रेरित किया । इस सत्र में 16 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी ।

चतुर्थ तकनीकी सत्र का प्रारम्भ 12.15 बजे हुआ । सत्र के चेयर पर्सन फगवाड़ा पंजाब से आए नशामुक्ति प्रणेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज फगवाड़ जी थे । को-चेयरपर्सन के रूप में तिलकधारी कॉलेज, जौनपुर (उ.प्र.) से आए नैदानिक मनोविज्ञान के प्रो. डॉ.राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी उपस्थित रहे । शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर से आमंत्रित मनोविज्ञान के प्राध्यापक डॉ.जय सिंह ने सत्र की अध्यक्षता की । सत्र का प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री नरेन्द्र कुमार कुलमित्र ने प्रस्तुत किया । इस सत्र में कुल 15 प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये ।

दोपहर भोजन के पश्चात् 3.00 बजे संगोष्ठी का समापन सत्र प्रारम्भ हुआ । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति माननीय श्री एन.पी.दीक्षित जी उपस्थित थे । महाविद्यालय जनभगीदारी समिति के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ.राजेश कुमार क्लिनिकल साईकॉलॉजिस्ट निम्होंस बँगलोर, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं श्री मनोज फगवाड़ जी मंच पर आसीन रहे । कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.एस.एस.महापात्र जी के द्वारा किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री दीक्षित जी ने रोचक प्रसंगों के माध्यम से प्रतिभागियों को नशामुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया । वहीं अन्य अतिथियों ने भी इस विषय पर अपने अनुभव साझा किये । संगोष्ठी के प्रतिभागियों को माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के कर-कमलों से प्रमाण पत्र प्रदान किये गये । अन्त में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.डी.आर.राणा द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया । संगोष्ठी के आयोजन सचिव डॉ.बसंत कुमार सोनवेर ने संगोष्ठी के आयोजन को सफल बनाने के लिये समस्त महाविद्यालय स्टाफ, आमंत्रित अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया ।

संगोष्ठी के चारों तकनीकी सत्रों में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत पत्रों एवं विशेषज्ञों के परामर्श के पश्चात् जो निष्कर्ष निकल कर आए वे इस प्रकार हैं :-

1. इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे भी जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है ।

2. मादक द्रव्यों के व्यसन में कमी लाने के लिये व्यापक स्तर पर शोध एवं सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता है । इस दिशा में नयी एवं उपयोगी तकनीकें विकसित की जावे तथा पुरानी तकनीकों में सुधार किया जावे ।
3. शासन-प्रशासन को सूबे में पूर्ण नशामुक्ति के प्रयास किये जाने चाहिए । जिससे कि इन समस्याओं से समाज मुक्त हो सके, जो नशाखोरी की वजह से उत्पन्न होती है ।
4. घर परिवार एवं कार्य स्थलों पर ऐसी संस्कृति का विकास किया जावे जो नशापान या मादक द्रव्य व्यसन को हतोत्साहित करती हो ।
5. इसके प्रयोग से सरकार की अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ता है । क्योंकि इससे प्रत्यक्ष तौर पर शासन को जो आमदनी दिखाई देती है । अप्रत्यक्ष तौर पर उससे कहीं अधिक नुकसान मानव जीवन पर पड़ता है और अन्ततः समाज का अहित ही होता है ।
6. मनुष्य को ऐसे व्यवहार प्रतिमानों को अनुपालन करना चाहिए जो मानव को नशे की ओर आगे बढ़ने से रोकता है । जैसे मेडिटेशन, मनोरंजन, शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त नींद संतुलित आहार, अपराध से दूरी आदि ।
7. मादक द्रव्यों के वितरण एवं विक्रय हेतु शासन को नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए । क्योंकि इसकी सुगम उपलब्धता इसके व्यसन को बढ़ावा देती है ।
8. स्कूल, कॉलेज एवं सामुदायिक क्षेत्रों में ऐसे परामर्श दाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए जो जीवन में तनाव उत्पन्न होने पर लोगों की सहायता करें उन्हें मार्गदर्शन करें और लोग नशे की आगोश में जाने से बच सकें ।
9. स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में मनोविज्ञान विषय के अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । क्योंकि इससे छात्र भविष्य में एक अच्छे परामर्शदाता बनते हैं और इस प्रकार वे नशामुक्ति अभियान में सहायक होंगे ।
10. मादक द्रव्य व्यसन तथा अपराध का गहरा संबंध है लगभग सभी प्रकार के अपराधों में मादक द्रव्यों का प्रभाव होता है । द्रव्यपान के नशे में होने से व्यक्ति अपने क्रोध, हवश तथा दुर्गुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता और अपराध कर बैठता है । यदि मादक द्रव्य की बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगायी जाये तो निश्चित रूप से समाज तथा देश अपराध में कमी आएगी ।